



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 12 जुलाई 2022

थाना : छतारी

03 ई-रिक्शा चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 ई-रिक्शा, 50,000 रुपये नकद, एक बाइक व अवैध असलहा बरामद

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 11/12-07-2022 की रात्रि में थाना छतारी पुलिस क्षेत्र में गस्त एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग में मामूर थी कि अभिसूचना प्राप्त हुई कि चोरी की 02 ई-रिक्शाओं को लेकर बेचने के उद्देश्य से दो वाहन चोर बहलोलपुर मोड से होते हुए अलीगढ़ की तरफ जाएंगे तथा इनकी निगरानी के लिए इनका साथी मोटरसाइकिल से इनके साथ साथ चलता है। इस सूचना पर पुलिस टीम त्वरित कार्यवाही करते हुए बहलोलपुर मोड पर पहुंचकर चेकिंग करने लगी कि कुछ देर बाद एक ई रिक्शा जिसको मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति पैर से सहारा देकर आगे की तरफ धकेल रहा था तथा उसके पीछे दूसरी ई-रिक्शा आती दिखायी दी। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर 02 ई-रिक्शा चालक एवं मोटरसाइकिल चालक कुल 03 अभियुक्तों को चोरी की दो ई-रिक्शा, मोटरसाइकिल, नकदी सहित व अवैध असलहा, कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- शान मौहम्मद पुत्र रियाजउद्दीन निवासी मोहल्ला मकदूमनगर थाना कोतवाली नगर जनपद अलीगढ़।
- 2- बबलू पुत्र वहीद खान निवासी उपरोक्त।
- 3- शकील पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मोहल्ला भुजपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद अलीगढ़।

बरामदगी-

- 1- 02 ई-रिक्शा
- 2- 01 स्पलेन्डर मोटरसाइकिल
- 3- 50,000 रुपये नकद
- 4- 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि एक ई रिक्शा को दिनांक 01-07-2022 को तीनों अभियुक्तों ने मिलकर कस्बा छतारी में ताहिर की दुकान के सामने से चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना छतारी पर मुअसं-214/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत हैं। चोरी की गयी इस ई-रिक्शा को बहलोलपुर आम के बाग में खड़ा कर दिया था इसको बेचने के लिए नहीं ले जा पाए तो कोई व्यक्ति इसकी बैटरी निकाल कर ले गया था। बैटरी न होने के कारण मोटरसाइकिल सवार साथी पैर से धक्का लगाकर ई-रिक्शा ले जा रहे थे।

दूसरी ई-रिक्शा को अभियुक्तों द्वारा कुछ दिन पूर्व थाना खुर्जा नगर क्षेत्र से चोरी करना बताया जिसके सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर से जानकारी की जा रही है। इस ई-रिक्शा का पीला रंग था, पकड़ी ने जाये इसलिए इस पर लाल रंग कर दिया था।

बरामद नकदी के बारे में पूछताछ पर बताया कि तीनों अभियुक्तों ने मिलकर दिनांक 06-06-2022 को कस्बा छतारी से एक ई-रिक्शा चोरी की गई थी जिसको अलीगढ़ ले जाकर एक अज्ञात व्यक्ति को 50,000 रुपये में बेच दिया था। उक्त रुपये उसी बेची गई ई रिक्शा के हैं। इस घटना के सम्बन्ध में थाना छतारी पर मुअसं-218/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. श्री राहुल चौधरी थानाध्यक्ष थाना छतारी
2. व030नि0 संजीव कुमार चौहान
3. का0 अंकित मौर्य, का0 प्रशान्त कुमार, का0 महेन्द्र सिंह।



मीडिया सैल बुलन्दशहर